सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.**

**अपील संख्याः 133/14** **निर्णय दिनांकः— 28.06.2019**

1. मायादेवी पत्नी रतनलाल जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. केसर बेवा हेमाराम जाति मेघवाल निवासी रोझां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. उदाराम
3. जालूराम
4. तिलोकाराम — पिसरान हेमाराम जाति मेघवाल निवासी रोझां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
5. रामचन्द्र
6. देवीलाल
7. ओमप्रकाश
8. अमरी
9. सुरजां
10. बाली
11. सीलू
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14—11—2014**
**उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर**

**उपस्थितः**

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

## —निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14—11—2014 जिसके द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि वाके चक 2 डीएलडी के मुरब्बा नम्बर 190/2 के किला नम्बर 13, 17, 18, 21, 22 ता 24 तादादी 1 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 19/44 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 12 तादादी 9 बीघा 14 बिस्वा इस प्रकार कुल 16 बीघा 09 बिस्वा कमाण्ड भूमि निहित है। जिसका अपीलांट तन्हा मालिक है। अपीलांट के चिपते ही रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि चक 3 डीएलडी के मुरब्बा नम्बर 190/44 के किला नम्बर 4 ता 7 की 14 बिस्वा व किला नम्बर 8 की 2 बिस्वा कुल 16 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया। इसलिए उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण को बेदखल करने एवं चिरनिषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के धारण में एवं खरीदशुदा भूमि वाके चक 2 डीएलडी के मुरब्बा नम्बर 190/2 के किला नम्बर 13, 17, 18, 21, 22 ता 24 तादादी 1 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 19/44 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 12 तादादी 9 बीघा 14 बिस्वा कुल 16 बीघा 09 बिस्वा कमाण्ड भूमि है। जिसका अपीलांट एकमात्र मालिक है। अपीलांट के धारण की भूमि के चिपते ही रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि चक 3 डीएलडी के मुरब्बा

नम्बर 190/44 के किला नम्बर 4 ता 7 की 14 बिस्वा व किला नम्बर 8 की 2 बिस्वा कुल 16 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट के धारण की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने व उन्हें चिरनिषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादपत्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वादपत्र विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण विधि वर्जित होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व आदेश है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित है तथा शपथ पत्र वादिया द्वारा प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में मात्र तकनीकी बिन्दु पर अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रूटि कारित की गई है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाकर प्रकरण को मात्र निपटाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे अपीलाट/रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करते हुए दोनों पक्षों को एक—दूसरे के धारण की भूमि में दखलंदाजी नहीं करने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वादपत्र मात्र तकनीकी बिन्दु पर खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया जावे कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें।

5. रेस्पोडेन्ट्स को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण में अपीलांट की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादी ने परीक्षण न्यायालय से प्रतिवादीगण के विरूद्व सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा है। परीक्षण न्यायालय ने तकनीकी आधारों पर दावा खारिज किया है। कानूनी बिन्दु पर भी विचार करें तो वादी/अपीलांट का वाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी का आदेश होने तक चलने योग्य नहीं था। अपीलांट/वादी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर पड़ौसी रेस्पोडेन्ट द्वारा उसकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो। अपीलांट को चाहिए था कि वे उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर पत्थरगढ़ी का आदेश करवाकर अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा करें। ऐसी स्थिति में अपीलांट को इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष देय नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—11—2014 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर